BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 457 OF 2025

THE MATTER OF:

Gulshan Kumar Alias Gulshan Chaudhary ....PETITIONER

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. ....RESPONDENT

INDEX

NDOH : 17.12.2025

S. No.	Particulars	Pages
1.	Reply Affidavit On Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board (Respondent No. 3), In Compliance With The Order Dated 16.09.2025 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	
2.	**Annexure- 1** A true copy of letter dated 29.10.2025	
3.	**Annexure -2** A true copy of joint committee report dated 03.12.2025 along with the photographs taken during inspection	

Respondent No. 3

Through

(HARSHITA RAGHUVANSHI)
Advocate for the Respondent No.3,
Chamber No. 439, 4th Floor,
Block D, Additional Building Complex,
Supreme Court, New Delhi-01

Dated: 12.12.2025
New Delhi

Mobile No. 8090217309
E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

NOTARY PUBLIC
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 457 OF 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Gulshan Kumar @ Gulshan Chaudhary **...Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. **...Respondent(s)**

<u>AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD</u>

I, Dr. Yogender Kumar, aged about 50 years, S/o Shri Pyare Lal, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Saharanpur do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 3288/10
GOVT. OF INDIA

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in the Original Application, which is pending before this Hon'ble Tribunal, the grievance of the applicant that the pond area existing in Plot/Khasra No.-1578 in Village-Nanauta, Tehsil-Rampur Maniharan, District-Saharanpur has been encroached upon and Respondent Nos. 8 to 11 were

constructing shops and basement on this land of water body. Upon considering the grievance this Hon'ble Tribunal vide its order dated 16.09.2025 in Original Application No. 457/2025 has issued the following direction, by listing the matter for 17.12.2025:

> "...6. *Applicant is directed to serve the other respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.*
>
> 7. ****
>
> 8. ****
>
> 9. *Meanwhile, the Respondent No. 4, District Magistrate, Saharanpur, is directed to ensure that no illegal construction and dumping soil, sand takes place on the waterbody in question..."*

3. That in the meantime, during the pendency of Original Application No. 457/2025, the applicant by mean of the execution application, seeks the compliance of order dated 16.09.2025 passed in Original Application No. 457/2025, by alleging that inspite of the order of the Tribunal the illegal construction is going on, wherefore this Hon'ble Tribunal vide its order dated 27.10.2025 has passed the following direction:

> "...4. *In the meanwhile, if any illegal construction in contravention of the order of the Tribunal dated 16.09.2025 takes place then the Respondent No. 4- District Magistrate, Saharanpur will be personally responsible for violation of the Tribunal's order..."*

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 3288/10
GOVT. OF INDIA

4. That in compliance to the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate Saharanpur vide its letter Ref. No.-645/O.A.No.457/2025 Gulshan Kumar dated 29.10.2025 has constituted a joint committee comprising

Additional District Magistrate (Judicial) Saharanpur, Sub-District Magistrate, Rampur Maniharan, Saharanpur and Executive Officer, Nagar Panchayat, Nanauta, Saharanpur to carry out the inspection of the site and to provide a report of the exact position.

A true copy of letter dated 29.10.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure-1**.

5. That in pursuance to the above order the constituted joint committee has visited the site and interacted with the local residents and submitted its report before the District Magistrate Saharanpur on 03.12.2025.

A true copy of joint committee report dated 03.12.2025 along with the photographs taken during inspection is being annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

NOTARY PUBLIC Kalim Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg. 3266/10 GOVT. OF INDIA

6. That further, on perusal of the joint committee report, it is stated that the said land has been recorded as Abadi since 1974 and occupied as, the legal jurisdiction regarding the matter necessarily lies before the Learned Civil Court. In pursuance of her lawful possession, Civil Suit No. 224/2025, Mrs. Naseem Bano versus Gulshan Chaudhary & Ors., was preferred before the Learned Civil Judge (JD), Deoband, Saharanpur, wherein vide its order dated 05.08.2025 categorical injunction has been passed restraining interference in possession. The true copy of the said order is annexed with the affidavits filed by the District Magistrate Saharanpur, which is on record.

7. That it is also most respectfully stated that in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, all construction work has been stopped the district administration forthwith and possession has been duly handed over to the Nagar Panchayat, Nanauta.

8. That the above affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Saharanpur on this the 13th day of December, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC ... GOVT. OF INDIA

DEPONENT

IDENTIFIED BY

KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No. 10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

Srl No-4865

... affidavit made before ... at 11:30 AM/PM in my office ... by Shri Yogendra Kumar s/o Pyare Lal who is identified by Shri ... The contents of the affidavit have been explained to the deponent who seemed to understand them.
Saharanpur
... INDIA

13/12/2025

भारत सरकार
Government of India
योगेन्द्र कुमार
Yogender Kumar
जन्म तिथि / DOB : 14/11/1975
पुरुष / Male
[redacted]
मेरा आधार, मेरी पहचान

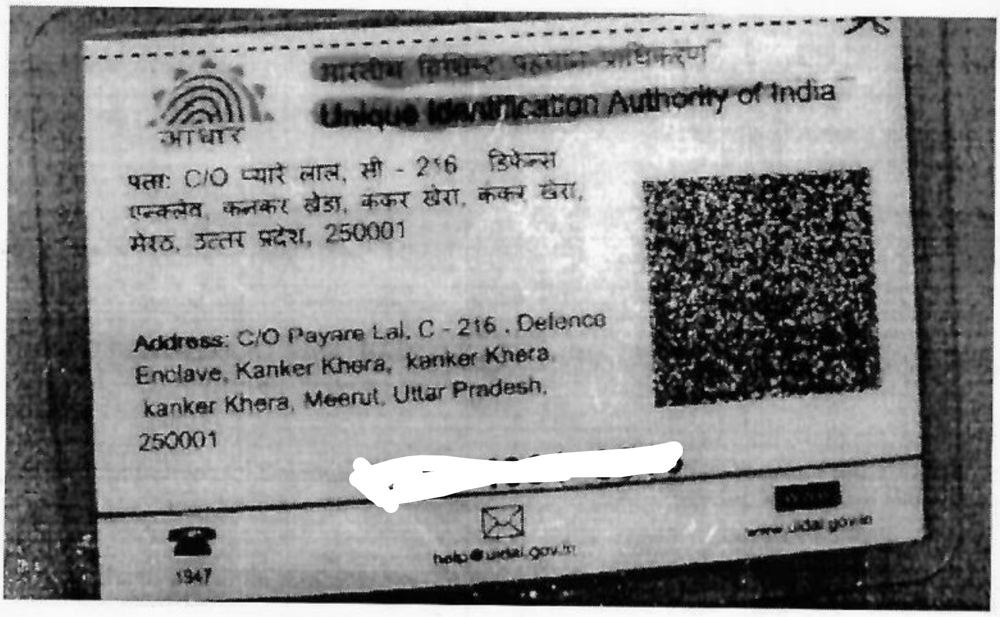

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
आधार
पता: C/O प्यारे लाल, सी - 216 डिफेन्स एन्क्लेव, कनकर खेडा, कंकर खेरा, कंकर खेरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250001

Address: C/O Payare Lal, C - 216 , Defence Enclave, Kanker Khera, kanker Khera, kanker Khera, Meerut, Uttar Pradesh, 250001

[redacted]

1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA

Annexure-1

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

सन्दर्भ: 645/O.A. No 457/2025 गुलशन कुमार

दिनांक: 29/10/2025

मा० एन0जी0टी0 प्रकरण

समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

1. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
   कलैक्ट्रेट, सहारनपुर।

2. उप–जिलाधिकारी,
   रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।

3. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–457/2025 (आई0ए0 नं0–595/2025) गुलशन कुमार Alias गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक–27.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–457/2025 (आई0ए0 नं0–595/2025) गुलशन कुमार Alias गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक–27.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"....1. This Execution Application (EA) has been filed by the Applicant alleging that the order dated 16.09.2025 passed in OA No. 457/2025 is not complied with by the Respondent No. 4-District Magistrate, Saharanpur. In the OA the Applicant alleged that the pond area existing in Plot No./Khasra No. 1578 in village Nanauta, Tehsil Rampur Maniharan, District Saharanpur has been encroached upon and the Respondent No. 8 to 11 were constructing shops and basement on this land of water body. Considering the grievance the Tribunal by order dated 16.09.2025 while issuing notice in the OA had passed following interim order:-

9. Meanwhile, the Respondent No. 4, District Magistrate, Saharanpur, is directed to ensure that no illegal construction and dumping soil, sand takes place on the waterbody in question."

2. Learned counsel appearing for the Applicant has referred to annexure A-2 and has pointed out that this order was conveyed to the Respondent No. 4-District Magistrate, Saharanpur on 20.09.2025. He has further submitted that inspite of the order of the Tribunal the illegal construction is going on and in support of this he has referred to the photographs filed as Annexure A-3 page 25 onwards which contain the geo-coordinates and dates also.

3. Learned proxy counsel appearing for the Respondent No. 4 has sought adjournment to place on record the report.

4. In the meanwhile, if any illegal construction in contravention of the order of the Tribunal dated 16.09.2025 takes place then the Respondent No. 4-District Magistrate, Saharanpur will be personally responsible for violation of the Tribunal's order.

5. List on 17.12.2025."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में एक समिति का गठन किया जाता है एवं समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण जोकि वाटर बॉडी की भूमि पर अवैध दुकान एवं बेसमेन्ट

बनाकर अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, पर तत्काल संयुक्त रूप से निरीक्षण कर, प्रभावी कार्यवाही करते हुये वांछित आख्या 07 दिन के अन्दर तैयार कर अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

Annexure-2

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या 645/ओ0ए0 नम्बर 457/2025 दिनांक 29.10.2025 जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 457/2025 (आई0ए0 नं0–595/2025) गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 27.10.2025. के अनुपालन के सम्बंध में है। जिसमें आप द्वारा अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सहारनपुर, उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नानौता की समिति का गठन किया गया है एवं गठित समिति को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण जो कि वाटर बॉडी की भूमि पर अवैध दुकान एवं बेसमेन्ट बनाकर अतिक्रमण के सम्वंध में है, पर तत्काल संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को उपलब्ध कराये, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

प्रकरण के सम्बंध में ग्राम नानौता में भूमि खसरा नम्बर 1578 क्षेत्रफल 1.2080 हे0 की जांच में पाया गया कि ग्राम नानौता पट प्रथम अ. ह.जैड.ए. न.सी. की खतौनी साल 1429 फसली से 1434 फसली में भूमि खसरा नम्बर 1578 आबादी श्रेणी 6(2) के रूप में दर्ज है जो कि सहारनपुर शामली दिल्ली रोड पर स्थित है। इस खसरा नम्बर में लगभग 50 वर्ष से अधिक पुरानी दुकानें एवं आबादी बनी हुई है और तभी से वह काबिज चले आ रहे है। स्थलीय अवलोकन एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में पाया कि इस खसरा नम्बर में दिल्ली रोड से सटी हुई दुकाने खुद दुकानदारों द्वारा निर्मित की गयी है और पीछे की दुकाने नगर पंचायत नानौता द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.01.2002 में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण किया गया था तथा कुछ भूमि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हेतु प्रीमियम लेकर किराये पर नगर पंचायत द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों द्वारा भी दुकानों का निर्माण किया गया है। पूछताछ में यह भी पाया कि अधिकांश दुकानों को बैनामा के माध्यम से क्रय किया गया है। मौके पर वाणिज्यिक एवं आवासीय गतिविधियां प्रचलित है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर 0.300 हे0 क्षेत्रफल रिक्त है और शेष क्षेत्रफल 0.908 हे0 पर पर दुकानें व आबादी बनी हुई है। जो क्षेत्रफल मौके पर रिक्त है वह रास्ते, सडक और नगर पंचायत द्वारा निर्मित एवं किराये पर दी गयी दुकाने के लिए सामान लोडिंग/अनलोडिंग के प्रयोग में आ रहा है। अन्य व्यक्तियों द्वारा भी दुकानों/आवासों का क्रय किया जाना तस्दीक हुआ। मौके पर इन सभी व्यक्तियों की दुकानें आदि बनी है उनमें से कुछ दुकानदारों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि साथ संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिये गये शपथ पत्रों के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर लगभग 50 वर्ष से अधिक से दुकान, मकान आदि निर्मित है और उनका क्रय–विक्रय हो रहा है। स्थलीय अवलोकन के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्तमान में शादमान, गुफरान, फरहान व अहकाम पुत्रगण अशफाक नि0 नानौता द्वारा जिन दुकानों का निर्माण कर लिया है उन दुकानों को उनकी माता श्रीमति नसीम बानों पत्नी अशफाक निवासी मौहल्ला शेखजादगान, नानौता द्वारा श्रीमति प्रवेश कुमारी पत्नी धर्मपाल निवासी मौहल्ला सरावज्ञान नानौता से 1987 में क्रय की गयी थी। बैनामा की छाया प्रति साथ संलग्न है। बैनामा में श्रीमति नसीम बानों द्वारा क्रय की गयी दुकान का निर्माण वर्ष 1976 अंकित है। श्रीमति नसीम बानो द्वारा दिनांक 25.09.1990 में टाऊन एरिया कमेटी नानौता द्वारा विधिवत स्वीकृत कराया गया था जिसकी छाया प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न है। शपथ पत्रो में उल्लेख किया गया कि प्रतिवादीगण शादमान, गुफरान, फरहान व अहकाम पुत्रगण अशफाक नि0 नानौता का कहना है कि जब जनवरी 2025 में उन्होंनें पुरानी दुकाने तोडकर नयी दुकानें बनाने प्रारम्भ की तो गुलशन चौधरी आदि ने शादमान आदि का काम रूकवाने की धमकी दी एवं अवैध रूप से वसूली हेतु दबाव बनाना प्रारम्भ किया। गुलशन चौधरी आदि के अवैध दबाव से बचने के लिए श्रीमति नसीम बानों की दुकान के सम्बंध में एक वाद मा0 न्यायालय सिविल जज जू0 डि0देवबन्द में वाद संख्या 224/2025 श्रीमति नसीम बानों बनाम गुलशन चौधरी योजित किया जिसमे सिविल न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये गये है जिसकी छाया प्रति साथ संलग्न है। वाद मा0 न्यायालय सिविल जज जू0 डि0देवबन्द में वाद संख्या 224/2025 श्रीमति नसीम बानों बनाम गुलशन चौधरी विचाराधीन है। निषेधाज्ञा के आदेश पारित होने के बाद शादमान आदि को नया निर्माण करने से रोक दिया गया था। वर्तमान में भी निर्माण कार्य रूका हुआ है। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी नानौता।	उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारान।	03/12 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहारनपुर।

महोदया,

कृपया संलग्नक,कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर के संदर्भ 645/ओ0ए0 नम्बर 457/2025 दिनांक 29.10.2025 जो विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 457/2025 (आई0ए0 नं0—595/2025) गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक—27.10.2025 के अनुपालन के सम्बंध में है, और जिसके द्वारा अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सहारनपुर, उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नानौता की समिति का गठन किया गया है एवं गठित समिति को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण जो कि वाटर बॉडी की भूमि पर अवैध दुकान एवं बेसमेन्ट बनाकर अतिक्रमण के सम्बंध में है, पर तत्काल संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को उपलब्ध कराये, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

प्रकरण के सम्बंध में ग्राम नानौता में भूमि खसरा नम्बर 1578 क्षेत्रफल 1.2080 हे0 की जांच में पाया गया कि ग्राम नानौता पट प्रथम अ. ह.जैड.ए. न.सी. की खतौनी साल 1429 फसली से 1434 फसली में भूमि खसरा नम्बर 1578 आबादी श्रेणी 6(2) के रूप में दर्ज है जो कि सहारनपुर शामली दिल्ली रोड पर स्थित है। इस खसरा नम्बर में लगभग 50 वर्ष से अधिक पुरानी दुकानें एवं आबादी बनी हुई है और तभी से वह काबिज चले आ रहे है। स्थलीय अवलोकन एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में पाया कि इस खसरा नम्बर में दिल्ली रोड से सटी हुई दुकाने खुद दुकानदारों द्वारा निर्मित की गयी है और पीछे की दुकाने नगर पंचायत नानौता द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15.01.2002 में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण किया गया था तथा कुछ भूमि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हेतु प्रीमियम लेकर किराये पर नगर पंचायत द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों द्वारा भी दुकानों का निर्माण किया गया है। पूछताछ में यह भी पाया कि अधिकांश दुकानों को बैनामा के माध्यम से कय किया गया है। मौके पर वाणिज्यिक एवं आवासीय गतिविधियां प्रचलित है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर 0.300 हे0 क्षेत्रफल रिक्त है और शेष क्षेत्रफल 0.908 हे0 पर पर दुकानें व आबादी बनी हुई है। जो क्षेत्रफल मौके पर रिक्त है वह रास्ते, सडक और नगर पंचायत द्वारा निर्मित एवं किराये पर दी गयी दुकाने के लिए सामान लोडिंग/अनलोडिंग के प्रयोग में आ रहा है। अन्य व्यक्तियों द्वारा भी दुकानों/आवासों का कय किया जाना तस्दीक हुआ। मौके पर इन सभी व्यक्तियों की दुकानें आदि बनी है उनमें से कुछ दुकानदारों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि साथ संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिये गये शपथ पत्रों के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर लगभग 50 वर्ष से अधिक से दुकान, मकान आदि निर्मित है और उनका कय–विकय हो रहा है। स्थलीय अवलोकन के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्तमान में शादमान, गुफरान, फरहान व अहकाम पुत्रगण अशफाक नि0 नानौता द्वारा जिन दुकानों का निर्माण कर लिया है उन दुकानों को उनकी माता श्रीमति नसीम बानों पत्नी अशफाक निवासी मौहल्ला शेखजादगान, नानौता द्वारा श्रीमति प्रवेश कुमारी पत्नी धर्मपाल निवासी मौहल्ला सरावज्ञान नानौता से 1987 में कय की गयी थी। बैनामा की छाया प्रति साथ संलग्न है। बैनामा में श्रीमति नसीम बानों द्वारा कय की गयी दुकान का निर्माण वर्ष 1976 अंकित है। श्रीमति नसीम बानो द्वारा दिनांक 25.09.1990 में टाऊन एरिया कमेटी नानौता द्वारा विधिवत स्वीकृत कराया गया था जिसकी छाया प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न है। शपथ पत्रो में उल्लेख किया गया कि प्रतिवादीगण शादमान, गुफरान, फरहान व अहकाम पुत्रगण अशफाक नि0 नानौता का कहना है कि जब जनवरी 2025 में उन्होंनें पुरानी दुकाने तोडकर नयी दुकानें बनाने प्रारम्भ की तो गुलशन चौधरी आदि ने शादमान आदि का काम रूकवाने की धमकी दी एवं अवैध रूप से वसूली हेतु दबाव बनाना प्रारम्भ किया। गुलशन चौधरी आदि के अवैध दबाव से बचने के लिए श्रीमति नसीम बानों की दुकान के सम्बंध में एक वाद मा0 न्यायालय सिविल जज जू0 डि0देवबन्द में वाद संख्या 224/2025 श्रीमति नसीम बानों बनाम गुलशन चौधरी योजित किया जिसमे सिविल न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये गये है जिसकी छाया प्रति साथ संलग्न है। वाद मा0 न्यायालय सिविल जज जू0 डि0देवबन्द में वाद संख्या 224/2025 श्रीमति नसीम बानों बनाम गुलशन चौधरी विचाराधीन है। निषेधाज्ञा के आदेश पारित होने के बाद शादमान आदि को नया निर्माण करने से रोक दिया गया था। वर्तमान में भी निर्माण कार्य रूका हुआ है। आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

KOF

21.11.2025

लेखपाल
क्षेत्र: नानौता

21/11/25

लिपिक
न0 प0 नानौता

21/11/2025

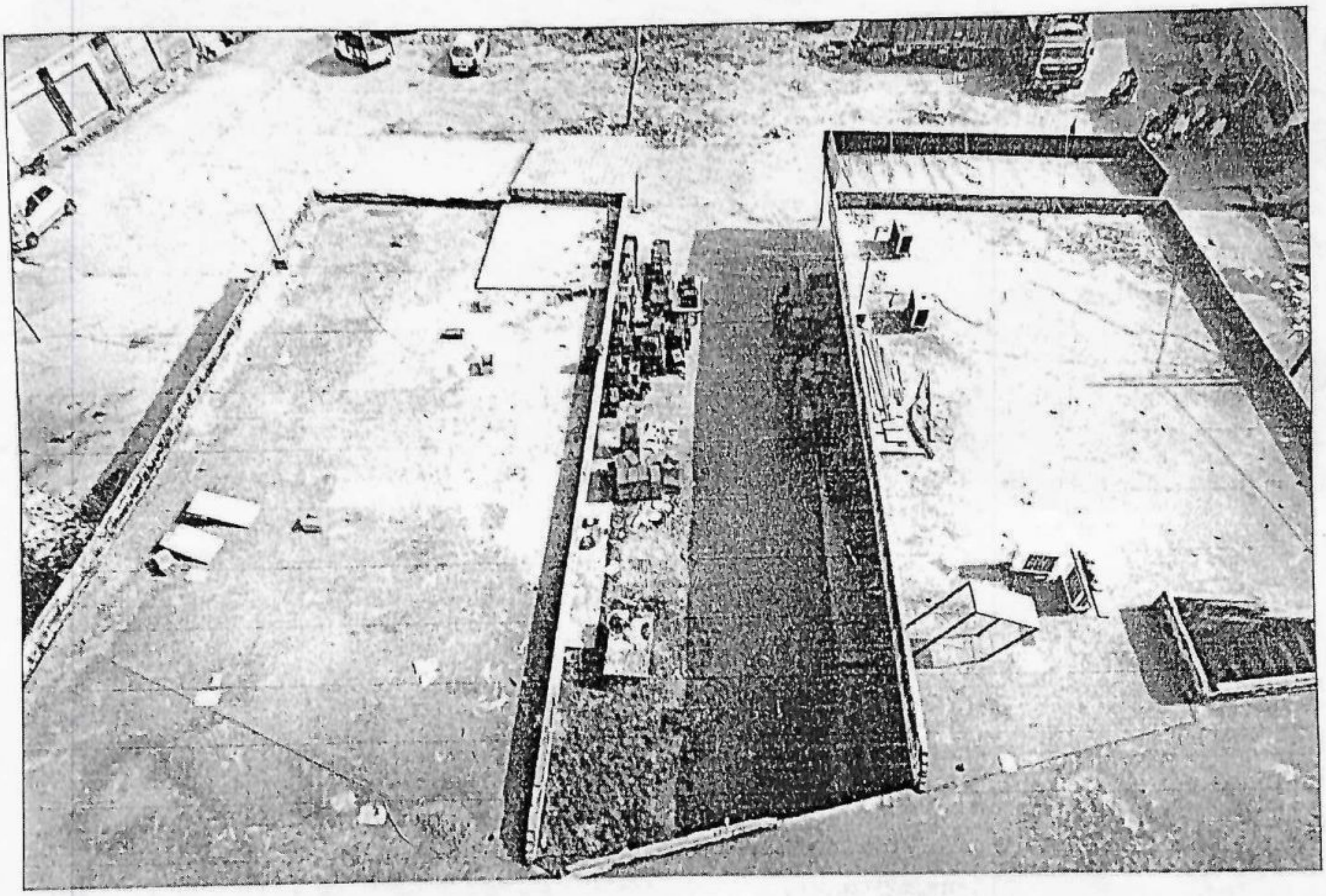

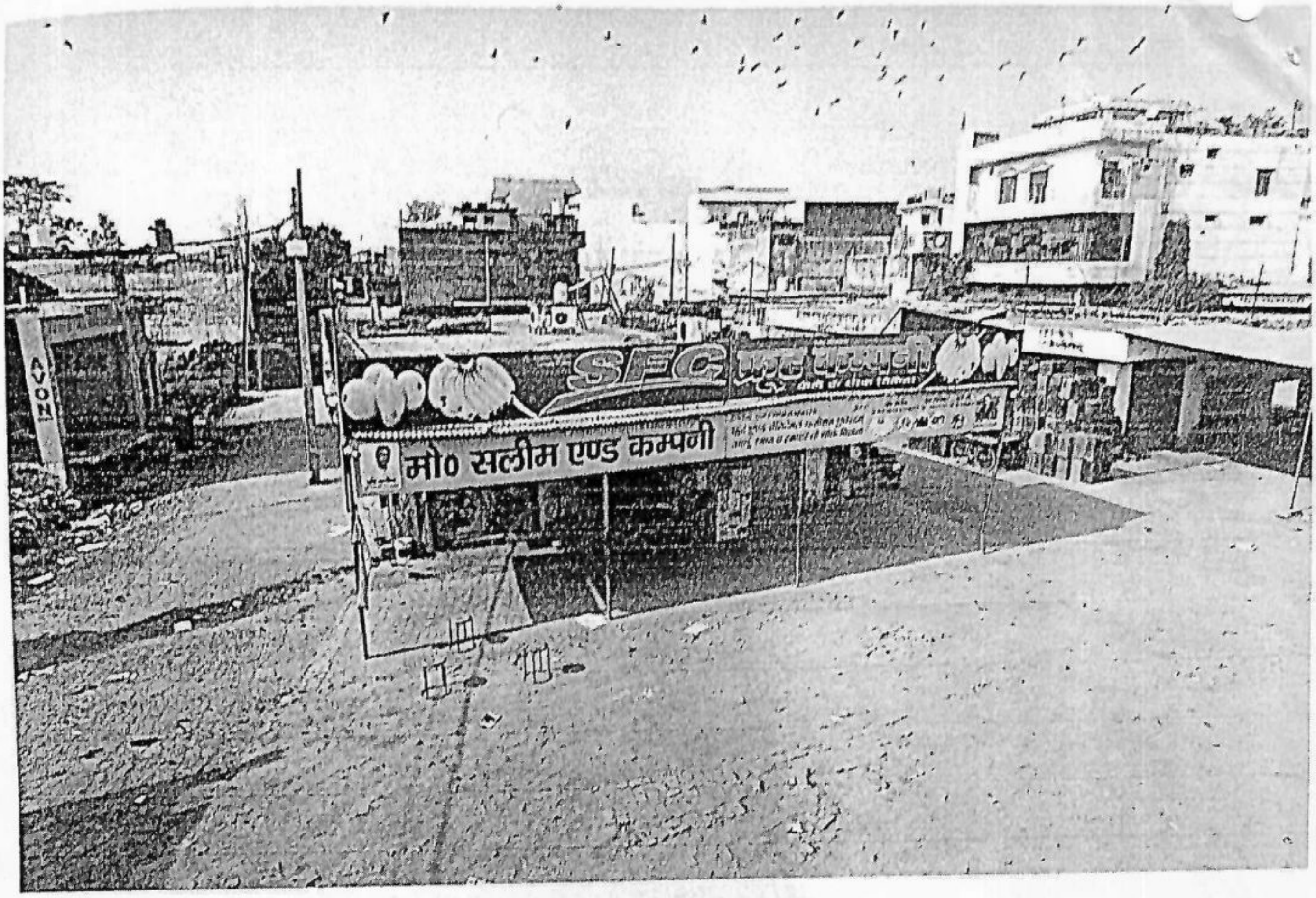
AVON
SFC
मो० सलीम एण्ड कम्पनी